

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification
Change Coverage of Localbody

Published By

Name Veerendra Kumar Tripathi
Designation DY Director
Mobile no. 9425921500
IP Address 103.160.49.41
On date 13/05/2024

Proposed By

Name Veerendra Kumar Tripathi
Designation DY Director
Mobile no. 9425921500
IP Address 103.160.49.41
On date 09/05/2024

State Name Madhya Pradesh
Localbody Code 383
Localbody Name Rewa
Localbody Type Name District Panchayat
Localbody Effective Date 13/08/2023

OLD LANDREGION COVERAGE LIST

Landregion Code	Landregion Name	Landregion Type	Coverage Type
424	Rewa	District	PART

NEW CONTRIBUTED LOCALBODY LIST


Localbody Code	Localbody Name	Coverage Type
----------------	----------------	---------------

NEW LANDREGION COVERAGE LIST

Landregion Code	Landregion Name	Landregion Type	Coverage Type
424	Rewa	District	PART
766	MAUGANJ	District	FULL

EST-260776/2023/06.10.2023

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023—आखिन 13, शक 1945

राजस्व विभाग
मंत्रालय, चल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की धारा से नवीन जिला मैहर (मुख्यालय मैहर) का गठन करती है जिसमें वर्तमान तहसील मैहर के समस्त 122 पटवारी हल्के, तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हल्के एवं तहसील रामनगर के समस्त 59 पटवारी हल्के, इस प्रकार कुल 234 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे. प्रस्तावित जिला मैहर के गठन परचात् शेष सतना जिले में तहसील राघुराजनगर के समस्त 71 प. ह., तहसील कोठी के समस्त 33 प. ह., तहसील मझगवां के समस्त 55 प. ह., तहसील नागीद के समस्त 94 प. ह., तहसील उबेहरा के समस्त 71 प. ह., तहसील रामपुर बापेलान के समस्त 97 प. ह., तहसील बिरसिंहपुर के समस्त 48 प. ह. एवं तहसील कोटर के समस्त 27 प. ह., इस प्रकार कुल 496 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर चालिम्हे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर चालिम्हे, अपर सचिव.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023—आश्विन 13, शक 1945

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नवीन जिला पांडुर्णा (मुख्यालय पांडुर्णा) का गठन करती है जिसमें पांडुर्णा तहसील के समस्त 74 हल्के तथा सीसर तहसील के समस्त 63 हल्के इस प्रकार कुल 137 हल्के समाविष्ट होंगे. पांडुर्णा जिले के गठन उपरंत छिंदवाड़ा जिले में शेष 12 तहसीलें क्रमशः अमरवाड़ा, उमरेठ, चांद, चौरई, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ानगर, जुनारदेव, तामिया, परसिया, बिल्लुआ, मोहखेड़, हरई के समस्त हल्के / कुल हल्के 686 शेष रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्वे, अपर सचिव.


भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्वे, अपर सचिव.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से

ना-आवृत्त साक्ष्य प्रमाणित किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]

भोपाल, रविवार, दिनांक 13 अगस्त 2023—श्रावण 22, शके 1945

राजस्व विभाग

मंत्रालय, चल्लम भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7-— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रीवा जिले की 03 तहसीलें मरुगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मरुगंज का गठन करती है जिसका मुख्यालय मरुगंज होगा। जिला मरुगंज के गठन उपरान्त शेष रीवा जिले में 09 तहसीलें हुजूर, हुजूरनगर, जवा, त्योंथर, रायपुर कर्चुलियान, गुड, सिरमौर, सेमरिया तथा मनगवां शेष रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7-— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7, दिनांक 13 अगस्त, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव।